

किशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ एवं समाधान

1. पृष्ठभूमि

- अधिकार आंशीक संसद पर उक्तमाल बाल अधिकारियम कानून के लिये केंद्र सरकार द्वारा 1986 में उक्त किशोर न्याय अधिकारियम परिचय दिया गया।

2. मुख्य प्रावधान

- 16 वर्ष से कम आयु के लड़के 18 वर्ष से कम आयु की लड़की द्वारा किये गए कानून विरोधी कारों को बाल अपराध की श्रेणी में स्थापित किया जाया।
- अपराधियों हेतु ब्रह्मण द्वारा किशोर अपराध न्यायालय की स्थापना।

3. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभियान

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर, 1989 को बाल अधिकार अभियान अपनाया गया, भारत ने भी इस अभियान पर हस्ताक्षर किये हैं।
- लंगवान-हैरी वाकाह से 2000 में किशोर न्याय कानून, 1986 में लंबोशीय कार लड़कों को संवर्क में आयु लीगी को बढ़ावार 16 से 18 वर्ष कर दिया जाया वर्तमान अधिकार अभियान 18 साल से कम के किशोरों को बालांगिल ही मारा जाता है।

4. संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015

- जन्मन्य अपराध करने की स्थिति में बाल अपराधी की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया जाया है।
- पहली बार अपराधों की श्रेणी निर्धारित की जई और जन्मन्य अपराध को भी परिवर्तित किया जाया, जिस अन्वय में अपराधी की धराड़ी के तहत 7 वर्ष वा उससे अधिक की साझा शिक्षा है, उसे जन्मन्य अपराध की श्रेणी में स्थापित किया जाता है, जैसे- हत्या, बहातकार आदि।
- इसमें जैर-कानूनी तौर पर बच्चा लीड होते, आंतकाराई समूहीं द्वारा बच्चों का इस्तेमाल करने और विकलांग बच्चों की विस्त-न्दृ अपराधों जैसे गए अपराधों को भी शामिल किया जाया।

किशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ उत्तराधान

5. न्याय कानून वित्तना तर्फ़ संगत?

- पहला संवाल, क्या प्रस्तावित कानून बाल अधिकारों पर बले संतुष्ट राष्ट्र लंगों के अधिकार का उल्लंघन है तुरन्त राष्ट्र अधिकारियम का अनुच्छेद (1) 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को बाल अधिकार की सुरक्षा प्रश्न करता है।
- दूसरा संवाल, क्या कानून जैर-बद्धता पर बाल होता है? लंगों ने सुरक्षा के मानदंडों में लड़कों को 16 साल की आयु में संख्त साझा का प्रावधान दिया जाया है। जबकि वास्तविकता वह है कि वर्तमान में लड़के-लड़कियों के अपराध का अनुपात 14 और 21 का उल्लंगन होता है। ऐसी विचारणीय तथ्य यह है कि जौलियन अधिकार भी अलीमित नहीं हैं बल्कि उन पर भी सुविधानुवत विवरण छापाए हैं।
- तृतीय संवाल, क्या कानून के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंगन होता है? ऐसी विचारणीय तथ्य यह है कि जौलियन अधिकार भी अलीमित नहीं हैं बल्कि उन पर भी सुविधानुवत विवरण छापाए हैं।

6. समस्याएँ

- किशोरों के मानसिक अटकावार के लिये हमारा समाज और विधान सामाजिक मालौल बराबर के विचारादार हैं।
- संयुक्त अधिकार के विलंबन के कारण बच्चे परंपरागत पालन-पोषण से दूर हो जाते हैं।
- आयुर्वेदिक संचार के कुम में बच्चे ब्रह्म बहुत प्रातीं परिपक्व तो हो रहे हैं, जैसे जूहने आवश्यक सामाजिक गुणों, जैसाकान और मारवाता का ज्ञान वहीं निकल पाता है।

7. समाधान

- वैतिक शिक्षा कठोर दंड से बहीं बहिक प्रेग से ही विचाराई जा सकती है और इसकी शुल्कात प्रधान पाठशाला वाली दर और आलगाव के सामाज से ही संभव है।
- बदले बाल अपराध का केवल साजीवालिक और दंडात्मक संवादान जहाँ ही संकरता, बहिक इसके लिये मानोवैज्ञानिक और शैक्षिक सामाजिक ज्ञान कालांक हैं।
- मानोवैज्ञानिक सहायता से अधिकारियों को वह वेष्टना होता कि बच्चे के अपराधी आचरण की समाप्ति होती है और वह काम करने उपराय किये जा सकते हैं।